संचिका सं0-एस0पी0(नि0)-06/2010..6676......./जे0

137

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

अशोक कुमार सिन्हा,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
गृह विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-..10/9/12.............

विषय:- **भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा-153 (ए) एवं 295 (ए) एवं अन्य के अन्तर्गत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-196 के तहत अभियोजन स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि थाना कांड से संबंधित मुकदमों में अभियुक्त/अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में कार्यपालिका नियमावली के नियम 53(1) सी0 के तहत प्रशासी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव में संचिका में स्पष्ट मंतव्य तथा कांड दैनिकी उपलब्ध नहीं रहता है, जिस कारण विधि विभाग को अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने में विलम्ब के साथ-साथ कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही अभियोजन स्वीकृत्यादेश का प्रस्ताव काफी विलम्ब से भेजा जाता है जिसपर सक्षम प्राधिकार के द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव कांड अंकित व प्रथम दृष्टया साक्ष्य एकत्र कर एक माह के अन्दर प्रशासी विभाग के माध्यम से विधि विभाग को भेजा जाय साथ ही अभियोजन स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु संचिका विधि विभाग को भेजने के पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए:-

1. थाना कांड संख्या, तिथि एवं धारा:-
2. अभियुक्त/अभियुक्तों का नाम:-
3. अभियुक्त/अभियुक्तों के पिता का नाम:-
4. अभियुक्त/अभियुक्तों का स्थायी एवं वर्त्तमान पता:-
5. अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति/अस्वीकृति के प्रस्ताव पर विभाग का समीक्षात्मक मंतव्य:-
6. अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं कांड दैनिकी की स्वच्छ पठनीय प्रति:-
7. मामले एवं प्रतिरोधी मामले (Cases and Counter Cases) की स्थिति में अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव अलग-अलग संचिकाओं में एक साथ भेजी जाए,

अत: अनुरोध है कि कृपया विभाग उपर्युक्त निर्देशों का पालन करते हुए अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विधि विभाग को भेजे ताकि अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके। उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन नही होने पर सक्षम प्राधिकार के समक्ष मामले को रखा जायेगा।

विश्वासभाजन

9.9.12

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार।